निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

करण संख्या 542/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

लाश पारीक पुत्र केशरलाल पारीक, निवासी मुहाना, पारीको की ढाणी, पोस्ट मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला यपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. बृज बिहारी पुत्र रामगोपाल पारीक, निवासी 13–ए, गायत्री नगर–प्रथम, टोंक रोड, जयपुर।
3. अविरल पुत्र बृजबिहारी पारीक नाबालिग जरिये संरक्षक पिता बृजबिहारी पारीक निवासी गायत्री नगर–प्रथम, टोंक रोड, जयपुर।
4. रविन्द्र पुत्र बृजबिहारी पारीक नाबालिग जरिये संरक्षक पिता बृजबिहारी पारीक निवासी गायत्री नगर–प्रथम, टोंक रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन अन्तर्गत धारा–135 प्रकरण संख्या 15/2025 को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थित:

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.10.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 15/2025 विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुये।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में वाके ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर, के मुतालिक वसीयत तथाकथित दिनांक 02.02.2019 अपंजीकृत के आधार पर शंकरलाल की पुत्री फूला देवी द्वारा तहरीर बताकर पुत्र अप्रार्थीगण अपने (पोत्रो) पुत्रगण अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक कराने की कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से सांठ–गांठ करके कार्यवाही कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया और प्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने के बाद भी जल्दी जल्दी पेशी मुकर्रर कर प्रार्थी की शहादत बन्द कर निर्णय बहस करने के लिये उतारू हो रहे है। जबकि प्रार्थी द्वारा वर्णित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के यहा अपील पेश कर दी है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित हो चुके है, फिर भी अपील के लम्बित रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय तथाकथित वसीयत तथा निर्णय व डिक्री के आधार पर निर्णय कर गैर कानूनी

जिला कलक्टर जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय पारित करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय को बार–बार निवेदन करने पर भी पीठासीन अधिकारी वसीयत के आधार पर निर्णय करने की जिद कर रखी है और एलानिया वक्त पेशी नाराज होकर प्रार्थी को धमकाते है कि वसीयत सही है, वसीयत अनुसार कार्यवाही करूंगा अपील में कोई स्थगन नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 जो अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के पिता है हर पेशी पर आकर ऐलानिया कहते है कि मेरे बेटो के नाम नामान्तरकरण करवाने की बात पीठासीन अधिकारी से हो गई है इंतकाल दर्ज करवाकर ही दम लूंगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के द्वारा ब–उनवानी फूला देवी बनाम छुट्टन व अन्य में डिक्री किया गया है की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। फूला देवी के विधिक वारिसान ने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में निष्पादित वसीयत में अपना सहमति पत्र दे दिया है। प्रार्थी को निष्पादित वसीयत पर आपत्ति करने को अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघडन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण के केवल कयास के आधार एवं नजदीक–नजदीक तारीख पेशी दी जाने पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner